


24/3/22

अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पैरवी नहीं करने की हिदायत की है। जिस कारण अपील अपीलांट नोटप्रेस की है। अतः श्रीमान के समक्ष विचाराधीन अपील प्रकरण नोटप्रेस करने पर दाखिल दफतर करने का आदेश फरमाया जावे। अतः अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील नोटप्रेस करने पर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।


अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पत्रावली की
हिदायत नष्ट
2
not here
Pant
me
24/3/22